फैक्स/अति महत्वपूर्ण/न्यायालय प्रकरण
अ0शा0 डीजी परिपत्र संख्या -68/2015

जगमोहन यादव
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः अक्टूबर 07 ,2015

विषयः महिलाओं/बालकों के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों में विधि सम्मत अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा जनपद बुलन्दशहर में दिनांक 07.04.2013 को बलात्कार पीड़िता बच्ची को महिला थाने पर हवालात में रखने के सम्बन्ध में घटित घटना की प्रकृति को देखते हुए प्रकरण का स्वंय सज्ञान लिया गया है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका(सिविल)संख्या 203/2013 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2015 में निर्देशित किया गया है कि प्रदेश के सभी थानो को महिलाओं/बालकों के विरूद्ध घटित होने वाले लैंगिक अपराधों में अपनाई जाने वाली विधिक प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश एक बार पुनः निर्गत किये जाए।

1. परिपत्र संख्या : डीजी परिपत्र-07/2012दिनांक 29.01.2012
2. परिपत्र संख्या : डीजी परिपत्र-24/2012 दिनांक 20.04.2012
3. परिपत्र संख्या : डीजी परिपत्र-31/2012 दिनांक 05.07.2012
4. परिपत्र संख्या : डीजी परिपत्र-35/2012 दिनाक 23.07.2012
5. परिपत्र संख्या : डीजी परिपत्र-43/2012 दिनांक 24.09.2012
6. परिपत्र संख्या : डीजी परिपत्र-53/2012 दिनांक 10.11.2012
7. परिपत्र संख्या : एडीजी परिपत्र-01/2013 दिनांक 08.01.2013
8. परिपत्र संख्या : डीजी-सात-एस-3/23/2012 दिनांक 13.01.2013
9. परिपत्र संख्या : डीजी परिपत्र-03/2013 दिनांक 16.01.2013
10. परिपत्र संख्या : डीजी परिपत्र-06/2013 दिनांक 02.02.2013
11. परिपत्र संख्या : डीजी-सात-एस-3/15/2013दिनांक 23.02.2013
12. परिपत्र संख्या : डीजी परिपत्र-10/2013 दिनांक 20.03.2013
13. परिपत्र संख्या : डीजी परिपत्र-11/2013 दिनांक 09.04.2013
14. परिपत्र संख्या : डीजी परिपत्र-12/2013 दिनांक 12.04.2013
15. परिपत्र संख्या : डीजी-सात-एस-2ए/निर्देश/2013दिनांक12.04.2013

प्रदेश में महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों में त्वरित एवं समग्र विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु आप समस्त को मुख्यालय स्तर से समय-समय पर पार्श्वांकित परिपत्र एवं आवश्यक दिशा-निर्देश पूर्व में निर्गत करते हुए कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु अभी भी मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का सम्यक रूप से अनुपालन नही किया जा रहा है, जिसके कारण पुलिस को न्यायपालिका एवं मीडिया में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

उपरोक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में घटित एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 07.04.2013 को थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0 230/2013 धारा 376/506 भादवि व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की पीड़िता को महिला थाने पर हवालात में रखने के सम्बन्ध में महिला उपनिरीक्षकों/महिला आरक्षियों थाना सिविल लाइन के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0 232/2013 धारा 342 भादवि, धारा 23 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट व धारा 4 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें बाद विवेचना आरोप पत्र संख्या : 15/2013 प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त इन 07 पुलिस कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही कर उन्हे निलम्बित भी किया गया था एवं इन्हे प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गयी है।

आप सहमत होगे कि महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराध यथा बलात्कार, छेडखानी आदि की घटनायें अत्यन्त निन्दनीय हैं। विशेष रूप से नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार/सामूहिक बलात्कार

तथा छेड़खानी आदि घटित होने वाली घटनायें अत्यन्त चिन्ता का विषय है। ऐसे अपराधों के रोकथाम हेतु महिलाओं द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को अंकित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किये जाने के किये सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से निर्देश निर्गत किये गये हैं परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का अनुपालन अभी भी तत्परता से नही किया जा रहा है।महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनके प्रति संवेदनशीलता के सम्बन्ध में आप लोगों के मार्गदर्शन हेतु इस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर परिपत्र निर्गत किये गये हैं। पुलिस महानिदेशक कार्यालय द्वारा निर्गत परिपत्रों के विषय में अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी अवगत नही हो रहे हैं एवं उनका अनुपालन सही ढ़ग से नही किया जा रहा है। अतः महिलाओं के विरूद्ध अपराध एवं लैंगिक हिंसा के प्रकरणों के तत्परता से रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को पुनः उल्लेख किया जा रहा है :-

<u>महिलाओं/बालकों के साथ घटित होने वाले लैंगिक हिंसा सम्बन्धी अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा अपनायी जाने वाली प्रकिया -</u>

- प्रत्येक पुलिस थाने पर एक महिला पुलिस अधिकारी/कर्मी की उपलब्धता अनिवार्य होगी।
- महिलाओं/बालकों सम्बन्धी किसी भी अपराध की सूचना मिलने पर थाने का दिवसाधिकारी थाने पर उपलब्ध महिला पुलिस अधिकारी को सूचित करेगा। इस महिला पुलिस अधिकारी का प्रथम दायित्व होगा कि वह पीड़िता व उसके परिवार को सांत्वना व ढ़ाढ़स देकर उसे शान्त करें।
- अभियोग के पंजीकरण हेतु सूचना का अभिलेखीकरण(द0प्र0सं0 के संशोधन के अन्तर्गत) महिला पुलिस के द्वारा ही किया जायेगा।
- यदि पीड़िता को कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है अथवा पीड़िता और उसके परिवार ने अपने किसी अधिवक्ता को नही बुलाया है तो डियूटी आफिसर का यह दायित्व होगा कि वह कानूनी सहायता हेतु तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कानूनी सहायक स्वयंसेवी(Para-legal Volunteer) या अधिवक्ता को बुलायेगा। प्रत्येक थाने पर ऐसे स्वंय सेवी अधिवक्ताओं की एक सूची होनी चाहिए जो महिला सम्बन्धित लैंगिक अपराधों में पीड़िता की मदद करते है।
- महिला सम्बन्धित लैंगिक अपराधों में यदि पीड़िता शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम है तो प्रथम सूचना का अभिलेखीकरण पीड़िता के घर पर या उसके चयनित स्थान पर अनुवादक या विशिष्ट शिक्षक की मौजूदगी में किया जायेगा। सम्बन्धित बयान की वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी।
- प्रारम्भिक विवेचना की कार्यवाही कर विवेचक उपलब्ध महिला पुलिस अधिकारी के साथ तुरन्त महिला को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अस्पताल ले जायेगा।
- पीड़िता का बयान धारा 161 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जायेगा इस बयान को लेने के लिए पीड़िता को किसी भी दशा में धारा 160द0प्र0सं0 का नोटिस देकर थाने या अन्यत्र स्थान पर नही बुलाया जायेगा। यह बयान पीड़िता के घर में अथवा उसके द्वारा बताए गये पसन्द एवं सुरक्षित स्थान में ही लिया जायेगा। पीड़िता के परिवार के सदस्य बयान के समय पीड़िता के साथ उपस्थित रह सकते हैं। धारा 154 सीआरपीसी (1)(बी) के अर्न्तगत बयानों की वीडियोग्राफी भी करायी जाये।
- पीड़िता का बयान धारा 164द0प्र0सं0 के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी तत्काल कराया जायेगा।
- किसी भी दशा में अभियुक्त को कार्यवाही शिनाख्त के अतिरिक्त पीड़िता के समक्ष नही लाया जायेगा।

- विवेचक का यह दायित्व होगा कि इन अपराधों की विवेचना बिना देरी के निस्तारित करें ताकि अभियुक्तगण को धारा 167(2) द0प्र0सं0 का लाभ प्राप्त कर जमानत न प्राप्त कर सके। बालकों के साथ घटित अपराधों की विवेचना 03 माह में पूर्ण कर ली जाए।
- महिलाओं/बालकों के साथ घटित बलात्कार एवं हिंसा, दुव्यर्वहार आदि के प्रकरण में मीडिया को ब्रीफिंग करते समय पीडिता का नाम, पीडिता के आचरण, रहन-सहन, कपड़े पहनने के तरीके व उसके व उसके साथी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी न की जाये। घटना के सम्बन्ध में तथ्यों की पूरी जानकारी कर सत्य एवं प्रमाणित विवरण प्रस्तुत किया जाये। किसी भी दशा में पीड़िता पर उसके साथ हुए अपराध का दोष न मढ़ा जाये।
- यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि दण्ड विधि(संशोधन) अधिनियम 2013 की उचित धाराओं का प्रयोग अवश्य हो।
- यदि पीड़ित/पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र के है तो भादवि की सम्बन्धित धाराओं के साथ-साथ लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 (Protection of children from sexual offences act 2012) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें।
- उन अपराधों को छोड़कर जिनमें सूचना रात्रि में प्राप्त होती है, पीड़िता को किसी भी दशा में रात्रि के समय थाने में नही रखा जायेगा - यदि आवश्यकता पड़ती है तो पीड़ित महिला को उसके घर या महिला संरक्षण गृह में ही रूकवाया जायेगा।
- संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं/बालकों के साथ घटित होने वाले अपराधों के त्वरित निस्तारण एवं संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में सभी पुलिसकर्मियों का समय-समय प्रशिक्षण कराया जाय।
- यदि विवेचना या ट्रायल के उपरान्त पीड़िता को किसी से भी धमकी प्राप्त होती है तो थानाध्यक्ष का दायित्व होगा कि तत्काल अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में जनपद बुलन्दशहर जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। जनपद में कार्यशालाओं के माध्यम से इसके बारे में समस्त अधीनस्थों को जानकारी देकर व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चत करलें कि महिलाओं/बालकों से सम्बन्धित अपराधों में उचित धाराओं का प्रयोग किया जा रहा है। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये, ऐसा न करने पर जनपदीय पुलिस प्रभारी इसके लिए स्वंय उत्तरदायी होगें। यह भी अवगत करा दिया जाए कि धारा 154(1) द0प्र0सं0 में वर्णित महिला सम्बन्धी अपराधों में अभियोग पंजीकृत न करने पर धारा 166क(ग) भादवि के अन्तर्गत सम्बन्धित के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करने का प्रविधान भी है। जनपद के समस्त अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष/विवेचक को इस निर्देश की एक प्रति उपलब्ध करा दी जाए।

भवदीय,

07/X/15

(जगमोहन यादव)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।